राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I/3867-71 **दिनांकः– 22.07.13**

कार्यालय आदेश

श्री दिनेश पणिया, सहायक लेखाधिकारी, कोषालय जोधपुर (शहर) का विभागीय आदेश संख्या 51/2013–14 दिनांक 09.05.13 द्वारा स्थानान्तरण उपकोषालय बागोडा (जालोर) में किया गया था। इस स्थानान्तरण के विरूद्ध श्री पणिया ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 5726/2013 दायर की, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका में पारित निर्णय दिनांक 21.05.13 में याची द्वारा प्रस्तुत सभी चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर विचार करते हुए याची द्वारा निर्णय की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की दिनांक से एक माह की अवधि में याची के स्थानान्तरण पर पुनर्विचार कर याचिकार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये हैं, इस संबंध मे श्री दिनेश पणिया ने निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर जोधपुर (शहर) मे ही सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हैः–

1. यह कि मैं वर्ष 2010 से स्लिप डिस्क की समस्या से पीड़ित हूँ। इस बीमारी मे मुझे चलने–फिरने, खडे रहने, उठने–बैठने इत्यादि में परेशानी होती है।
2. यह कि मेरी पत्नी राजकीय सेवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोगडा खुर्द, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर में अध्यापिका के पद पर कार्यरत होने से वह भी मेरे साथ नहीं रह सकती है।
3. यह कि मेरा स्थानान्तरण अधीनस्थ लेखा सेवा हेतु वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.2 (21)वित्त/राजस्व/90 दिनांक 28.05.10 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध मे जारी दिशा–निर्देशों मे भी पति एवं पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर दोनों कार्मिकों को यथा सम्भव एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश हैं।
4. यह कि मेरे पिताजी वयोवृद्ध (75 वर्ष) होने के साथ–साथ मेरी माताजी के देहावसान के बाद से उनकी नज़र बहुत ही कमजोर होने से उनकी सार–संभाल की जिम्मेदारी मेरी व मेरे परिवार की है।

श्री पणिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा पर्चियों का अवलोकन कर अभ्यावेदन का निस्तारण निम्नानुसार किया किया जाता हैः–

1. अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति दिनांक 28.05.10 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। स्लिप डिस्क की बीमारी उक्त नीति के अनुसार गंभीर बीमारी की श्रेणी में भी नहीं आती है। श्री पणिया द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा पर्चियां वर्ष 2010 एवं 2011 की हैं।
2. स्थानान्तरण सें पूर्व श्री पणिया ने अपनी बीमारी के संबंध में कभी भी विभाग को अवगत नहीं कराया।
3. श्री पणिया ने पत्नी के राजकीय सेवा में होने का कोई प्रमाण स्थानान्तरण सें पूर्व विभाग में प्रस्तुत नहीं किया है। स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या 7 में पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने की स्थिति में दोनों कार्मिकों को यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने का प्रयास करने का प्रावधान है।

अतः श्री पणिया के अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये विभागीय आदेश संख्या 51/2013–14 दिनांक 09.05.13 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पणिया का पदस्थापन उपकोष बागोडा, जिला जालौर के स्थान पर उपकोष लूणी, जिला जोधपुर में किया जाता है।

निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I/3867-71 दिनांकः– 22.07.13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त निदेशक (विधि), निदेशालय जयपुर।
2. कोषाधिकारी जोधपुर (शहर), जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री पणिया को अविलम्ब कार्यमुक्त करें।
3. कोषाधिकारी जोधपुर (ग्रामीण), जोधपुर/ जालौर।
4. श्री दिनेश पणिया, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय– कोषाधिकारी जोधपुर (शहर), जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को भिजवावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

निदेशक